

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2090
01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कीटनाशकों का उपयोग

2090. श्री ईश्वरस्वामी के :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों आदि पर कीटनाशकों का प्रयोग उन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मानव स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं;
- (ग) क्या कीटनाशक युक्त खाद्यान्न खाने के कारण पक्षियों की सभी प्रजातियों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है और इसके कारण जल और वायु प्रदूषित हो रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई नवोन्मेषी विचार अपनाया है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क)और(ख):

देश में कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति तभी दी जाती है जब उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन पंजीकरण समिति (आरसी) द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के रूप में अनुमोदन प्रदान किया जाता है। मनुष्यों, पशुओं या पर्यावरण को होने वाले जोखिम को रोकने एवं उससे संबंधित मामलों हेतु कीटनाशकों की प्रभावकारिता और

संरक्षा सुनिश्चित करने के पश्चात ही पंजीकरण प्रदान किया जाता है। मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में किए गए अध्ययनों एवं फील्ड ट्रायल्स के आधार पर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पंजीकरण समिति के माध्यम से मात्रा, फसलों, एहतियाती उपायों, विष नाशक आदि के विवरण को मंजूरी देता है, जिन्हें कीटनाशकों के लेबल और लीफलेट्स पर विधिवत रूप से मुद्रित किया जाता है। यदि पंजीकृत कीटनाशकों का उपयोग लेबल और लीफलेट्स पर दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाए, तो वे मनुष्यों, पशुओं एवं पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं।

(ग):

कीटनाशकों से दूषित खाद्यान्न एवं पानी का सेवन करने के कारण धीरे-धीरे घट रही पक्षियों की प्रजातियों की संख्या के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ)और(ङ):

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, अपने केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) एवं राज्य कृषि विभागों के माध्यम से किसानों को उत्पादन बढ़ाने हेतु जैव-कीटनाशकों, बायो-स्टीम्युलेंट्स जैसे रसायनों के विकल्प और जैविक खेती, मिश्रित खेती जैसी वैकल्पिक कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2024-25 में, देश भर में कुल 720 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 21,271 किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए, भारत सरकार एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) की रणनीति को बढ़ावा दे रही है, जिसमें पारंपरिक एवं जैविक तरीकों से कीट प्रबंधन की संकल्पना की गई है।
